सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-19 सोमवार, दिनांक-28 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:20 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सरकार से उत्तर की मांग की गयी।

आसन द्वारा कहा गया कि यह दुखद घटना है। सबको इसपर गंभीरता से बात करनी चाहिए।

तदुपरान्त माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि घटना में संलिप्त युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यह घटना दुखद है और सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

तत्पश्चात आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी माननीय सदस्यों के लिए मोना 70mm सिनेमा घर में प्रदर्शित 'द कश्मीर फाईल्स' फिल्म की आज की टिकट की व्यवस्था की गयी है।

[1] **प्रश्नकाल :-**

(i) 06 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 10 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 63 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या-3243 के निस्तारण के दौरान विपक्ष के सदस्यगण द्वारा उत्तर से असंतुष्टता प्रकट की गयी। माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम द्वारा कहा गया कि यह विषय गंभीर है तथा राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि पिछले शनिवार हमने संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्यों के विषय पर विमर्श किया है। सरकार का कर्त्तव्य है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन हम सभी विधायकों और

नागरिकों की जिम्मेवारी है कि हम सरकार को सहयोग करें। आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग से इस विषय को गंभीरता से लेकर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य को अवगत करा देने का निदेश दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-3255 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग को माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य के आग्रह को गंभीरता से लेने का अनुरोध किया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-3265 के निस्तारण के दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण प्रश्न को स्थगित करने की मांग पर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये, जिसपर आसन द्वारा इस विषय को स्वयं अपने स्तर से देखने का नियमन दिया गया।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[3] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्रीमती गायत्री देवी	(ii)	श्री विनय कुमार
(iii)	श्री रामवृक्ष सदा	(iv)	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा
(v)	श्री मिथिलेश कुमार	(vi)	श्रीमती कविता देवी
(vii)	श्रीमती नीतु कुमारी	(viii)	श्री मनोज मंजिल
(ix)	श्री इजहारूल हुसैन	(x)	श्री भरत बिंद
(xi)	श्री सुनील मणि तिवारी	(xii)	श्रीमती रेखा देवी
(xiii)	श्री पवन कुमार जायसवाल	(xiv)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(xv)	श्री प्रणव कुमार	(xvi)	श्री विद्या सागर केशरी
(xvii)	श्री सउद आलम	(xviii)	श्री महा नंद सिंह

इस दौरान विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण फिल्म 'द कश्मीर फाईल्स' के प्रदर्शन के विरोध में शोरगुल और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए तथा अपना विरोध प्रकट करने लगे।

आसन द्वारा कहा गया कि यह गलत है। अपनी विरासत की इस तरह अवहेलना करना अशोभनीय है। यह मानसिकता कहीं न कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है।

आसन के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित की गयी।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 03.24 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[4] **विधायी कार्य - राजकीय विधेयक:-**

i. **बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022**

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-माननीय मंत्री वाणिज्यकर विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा का खंड 3 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii. **बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022**

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ का खंड 2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii. **बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022**

माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा का खंड 2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv. **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022**

माननीय मंत्री कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का नाम पुकारा गया लेकिन उनके सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ का विधेयक के विभिन्न खण्डों में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

v. **बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2022**

माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ का खंड 2 एवं 1 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[5] **निवेदन** :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 52 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-29 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-28.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।